

FORM NO. III


फर्द अहकाम  
(नियम 20)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
पन्नीदेवी किलका पत्नि जयराम चौधरी जाति जाट  
सा. नावां तह. नावां

बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान  
अखेदान पुत्र जसदान जाति चारण वर्ग.  
सा. नावां तह. नावां

किस्म मुकदमा : 53,188 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर | 07/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
28.04.2022	<p>वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री रोहित कुमार पारीक ने यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 30.05.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Gm (ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p> <p>30/5/22 पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से वहाय वधारे हे पत्रावली दिनांक 30/11/22 को पेश हो।</p>	
30/6/22	<p>श्री वक्ता वाली उपर प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से Adv. श्री देवी सिंह सोलंकी, राजेन्द्र कुमार शर्मा, क्षमलचंद्र पवार ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिश्रण हो पत्रावली वक्ति बकाया तलबी दि 31/8/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Gm,</p>	
7/9/22	<p>उपर पेश उपर बकाया की तलबी व अवक पेश करने हे दिहाप्त की गयी मि०दि० 21/11/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Gm,</p>	
21/11/22	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से वहाय वधारे हे पत्रावली दिनांक 11/11/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Gm</p>	

तारीख हुयम

पत्र  
अप  
हुयम  
नं

11/1/23 पत्रावली पेश बार एशोसिएशन म  
कन्ड्रोलिंग कार कार्याय रभन  
का निवेदन किस्स/पत्रावली इलाका  
बाबर दिनांक 11/1/23 को पेश हो।

SS

14/2/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीएमसीन  
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से महार  
बधारे है पत्रावली दिनांक 10/2/23  
को पेश हो।

SS

10/5/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीएमसीन  
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से महार  
बधारे है पत्रावली दिनांक 6/7/23  
को पेश हो।

SS

6/7/23 उभयपक्ष उपो। बकाया की तलबी व जवाब  
पेश कने हेतु अंतिम हिदायत दी गई मिस  
दि 28/8/23 को पेश हो

28/8/23 उभयपक्ष उपो। साक्षिण आदेश की पालना कने  
हेतु हिदायत दी गई मिसदि 25/10/23 को  
पेश हो

25/10/23 पत्रावली पेश हुई। अश्विबन्ना वादीया व वादीया  
स्वयं को बार-बार अवाज दिलाई गई जितके  
बावजूद भी अनुपस्थित रहे हैं  
अतः वादीया का वाद पत्र अदम हाजी व  
अदम पैली में खालि किया जाता है। पत्रावली  
कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व खालि  
दखल हो

उपखण्ड अधिकारी  
नावां (डीडवाना-कुचामन)